

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 10/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

जगदीश कुमार रहेजा पुत्र श्री तेजभान रहेजा जाति अरोड़ा निवासी मका नम्बर 284, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :- सदाबहार रेस्टोरेन्ट 5 छोटी, धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 11.10.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2020 को दोपहर 11:00 ए.एम. पर फर्म मै. सदाबहार रेस्टोरेन्ट 5 छोटी, धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर जगदीश कुमार रहेजा पुत्र श्री तेजभान रहेजा जाति अरोड़ा निवासी मका नम्बर 284, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को बर्फी मिठाई आदि बनाकर बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखी बर्फी मिठाई लगभग 6 किलो में से 2 किलो बर्फी मिठाई वास्ते नमूना लिया जिसके पेटे 560/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बर्फी मिठाई, को एक रूप किया एवं इस एक रूप में की हुई बर्फी मिठाई को चार डिब्बों में प्रत्येक में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक बतौर फासेरमलिन की 40-40 बूंदे मिलाकर एयरटाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1164 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन



के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1164 नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर-दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1164 बर्फी मिठाई लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश कुमार रहेजा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/140/एक्ट/2020/140 दिनांक 02.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-1164 बर्फी मिठाई अमानक स्तर (Sub Standard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जगदीश कुमार रहेजा पुत्र श्री तेजभान रहेजा मैसर्स सदाबहार रेस्टोरेन्ट 5 छोटी, धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर बर्फी का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस बर्फी मिठाई का नमूना जांच हेतु लिया था वह खोया Sub Standard Food पाया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो। जांच रिपोर्ट के अनुसार बर्फी के लिए मिल्क फेट 40.0 से 44.0 होना चाहिये जबकि परिणाम में 44.57 दर्शाया गया है जो मार्जिन पर है। प्रार्थी नोटिस में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करता है। अतः नरमी का रूख अपनाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की अनुकम्पा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया बर्फी मिठाई का सैम्पल के-1134 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/140/एक्ट/2020/140 दिनांक 02.11.2020 द्वारा सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस बर्फी मिठाई का नमूना जांच हेतु लिया था वह खोया Sub Standard Food पाया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो। जांच रिपोर्ट के अनुसार बर्फी के लिए मिल्क फेट 40.0 से 44.0 होना चाहिये जबकि परिणाम में 44.57 दर्शाया गया है जो मार्जिन पर है। प्रार्थी नोटिस में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करता है। अतः नरमी का रूख अपनाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की अनुकम्पा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया खोया Sample of "Barfi (Mithai) (Made from Milk[sugar & Elaichi Powder) bearing Code No. and Sr. No. K-1164 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standards of Milk far prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Reguklations, 2011 जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त जगदीश कुमार रहेजा पुत्र श्री तेजभान रहेजा – फर्म सदाबहार रेस्टोरेन्ट 5 छोटी, धानमण्डी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री जगदीश कुमार रहेजा पुत्र श्री तेजभान रहेजा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000-00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में बर्फी मिठाई बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर